'Perhaps the most egregious characteristic of the novel is the denial of the historical agency of Black people. They are robbed of their roles as subjects of the history reduced to mere objects who are passive hapless victim, mere spectators and bystanders in the struggle against their own oppression and exploitation.' (Saney, 108)

In 'The Devils Find Work' Baldwin accuses those in power trying to appropriate the supposed impartiality of the law to maintain their power. He assets that 'the civilized have created the wretched, quite coldly and deliberately and do not intend to change the status quo; are responsible for their slaughter and enslavement …. Whenever and wherever they decide that their "vital interest "are minced, and think nothing of torturing man to death.'(Baldwin, 16).

Tom Robbinson is shot dead yet his death does not shock, it happens as a matter of fact, a foregone conclusion. Instead of representing and shielding him against oppression, the judiciary and police act as catalyst to preserve the system. For the legal system and police determination of facts relies too much on white experience, thus limiting the transformative potential of the legal, socio political system.

WORKS CITED

1. Lee, Harper: To Kill A Mocking Bird, London; Arrow Books; 2010. Print
2. hooks, bell: Out There: Marginality and Contemporary Culture (eds) R.Ferguson et al, Cambridge: Cambridge University Press;1990.Print.
3. Morrison, Toni: Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination, New York; Vintage Books;1992. Print .
4. Saney, Isaac: The Case Against To Kill a Mocking Bird: Race and Class,45,(1), July-September 2003, 99-110
5. Baecker, Diane: Telling it in Black and White: The Importance of the Africanist Presence in To Kill a Mocking Bird, Southern Quarterly; Spring 1998;36(3); 124-32.
6. Baldwin, James: James Baldwin: Collected Essays (ed) Toni Morrison, Library of America;1998.Print

*****

भारत में पुलिस प्रशासन की समस्याएं और समाधान के उपाय

डॉ. निशा कुमारी*

भारत में पुलिस प्रशासन के जिम्में विधि–व्यवस्था को सौंपी गयी है। जब कभी और जहां कहीं भी लोगों ने अपने को संगठित किया, वहां एक विधि बनाया तथा उसको प्रशासित करने के लिए एक संगठन बनाया, उसे पुलिस का नाम दिया गया।

जब कभी और जहां कहीं भी लोगों ने अपने को संगठित किया, वहां एक विधि बनाया और उसको प्रशासित करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसे पुलिस का नाम दिया गया। पुलिस के सामने भ्रष्टाचार और कानून का उल्लंघन सबसे बड़ी समस्या है। लगातार हो रहे अपराध तथा आतंकवादी घटनाएं पुलिस के दिन चुनौती बनी हुई है। क्रिमिनल लॉ के मुताबिक अपराध विधि के द्वारा निषिद्ध भी है और समाज के नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध भी है।[1] भारत में अपराध और अपराधी दोनों को घृणित दृष्टि से देखा जाता है, हालांकि देथ में अपराध और अपराधी दोनों प्राचीन काल से ही मौजूद रहे हैं तथा आज भी हैं, लेकिन पुलिस का रवैया देखकर अब लोग पुलिस को भी पसंद नहीं करर रहे हैं। यह दुःखद किंतु अरुचिकर सत्य है कि लोग जहां तक हो सके, वहां तक पुलिस से दूर रहना पसंद करते हैं।[2]

दूसरी तरफ पुलिस के पास अपराध के बढ़ते आंकड़े पुलिस के लिए बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले भी समस्या को बढा रहे हैं। नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1997 में भारत में 17,19,820 अपराध की घटनाएं हुई थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 32,25,701 हो गयी।[3]

भारत में पुलिस प्रशासन के सामने आनेवाली चुनौतियां –भारत में पुलिस प्रशासन के सामने आनेवाली प्रमुख चुनौतियां निम्नांकित है –

पुलिस के पास कार्यभार की अधिकता होती है। एक ही पुलिस को अन्वेषण, सुरक्षा, निगरानी, अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, ऐसे में पुलिस की कार्यवाही प्रभावित होती है।

***पीएच.डी. राजनीतिविज्ञान, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय मुजफरपुर**

पुलिस के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि लोग कानून के उल्लंघन से नहीं डरते हैं, क्योंकि न्याय होने में बहुत देर लगती है। लंबित केसों की संख्या और न्यायिक प्रक्रिया में देरी को देखकर लोगों को लगता है कि अपराध करने के बाद सजा मिलने में उम्र ही निकल जाएगी। इन लंबित केसों का प्रमुख कारण है– न्यायाधीशों की संख्या में कमी होना। भारत में जहां 13,000 न्यायाधीश हैं अर्थात् प्रति 10 की लाख आबादी पर 10–12 न्यायाधीश हैं, जबकि इतनी ही आबादी पर अमेरिका में 125, इंग्लैण्ड में 100 और भारत के पड़ोसी देशों में 30 न्यायधीशों की व्यवस्था है।[4]

पुलिस के पास तीसरी बड़ी चुनौती है भारत की अनेक धर्मों, वर्गों, जातियों की संरचना का होना। आज भी भारत की अधिकांश आबादी गांवों में . षि पर निर्भर है, खेतों का आकार का लगातार घटते जाने और काम की कमी से आतंकवाद और नक्सलवाद को फलने–फूलने का अवसर मिलता है। भारत में केवल वर्ष 2005 में ही नक्सलवाद की ही 1608 घटनाएं भारत में घटी है। ग्लोबल टेरोरिज्म डाटाबेस के मुताबिक औसतन 360 लोग प्रतिवर्ष आतंकवाद के कारण काल के गाल में समा जाते हैं।[5]

भारत में न्यायपालिका की प्रक्रिया में शायद ही किसी बड़े आदमी को सजा मिल पाती है। मार्ग तथा इंडिया टुडे के सर्वेक्षणों से खुलासा हुआ है कि दस अंकों के पैमाने पर 8.2 अंक के साथ मंत्री तालिका में शीर्ष पर रहे, जबकि 7.5 अंकों के साथ पुलिस दूसरे स्थान पर रही।[6] ऐसे में लोगों का भरोसा पुलिस पर से उठना स्वभाविक है।

भारत में न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल और मंहगी होती है कि न्यायपालिका से न्याय पाना अब गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है।[7]

भारत के स्कूल–कॉलेजों की शिक्षा में नैतिक शिक्षा पर बल नहीं दिये जाने के कारण लोग भौतिक सुखों की चाह में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी, छेड़खानी, बलात्कार, जैसे कामों में जुट जाते हैं। उपर से भारत में शिक्षा का निम्न स्तर पर होना समस्या उत्पन्न करता है।

पुलिस के समक्ष भारत की भौगोलिक संरचना भी एक चुनौती है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं की कमी वाले राज्यों से लेकर घनी आबादी वाले स्थान के अपराध को भी पुलिस को ही रोकना होता है। अपराधी घटना के बाद दुर्गम स्थानों से लेकर विदेश तक भाग जाते हैं, जो पुलिस के समक्ष बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है।

पुलिस के पास संसाधनों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। अपराधियों के पास आधुनिक हथियारों से लेकर नई तकनीक वाले संचार उपकरण मौजूद होते

हैं। ऐसे में पुलिस के पास संसाधनों की कमी और लचर व्यवस्था कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बनाये रखने में बड़ी चुनौती होती है और अपराधी का मनोबल बढ़ जाता है।

पुलिस प्रशासन में सुधार के उपाय–पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए निम्नांकित उपायों को लागू किया जा सकता है –

पुलिस में देश सेवा और समाज सेवा से युक्त योग्य अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए तथा पुलिस विभाग में कार्य– निष्पादन के मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए,[8] जिससे पुलिस बेहतर काम करने को प्रेरित हों।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग – 1977 तथा सोली सोराबजी आयोग – 2005 के अनुसार पुलिस विभाग में व्यापक सुधार किये जाएं. जैसे– पुलिस की संख्या बढायी जाए, नवीन उपकरण, प्रशिक्षण तथा पुलिस से राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म किया जाए। पुलिस व्यवस्था में अनुसंधान और अपराध नियंत्रण की अलग–अलग व्यवस्था की जानी चाहिए।

नैतिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा को विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपराध की तरफ नहीं मुड़कर सादा जीवन जी सकें। पुलिस को भी नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि व्यवस्था से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके।

न्यायपालिका में त्वरित निपटान की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को अपराध करने से पहले डर लगे कि सजा मिलकर ही रहेगी और इसके लिए पुलिस और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए। वर्ष 2019 में आंकड़ों के मुताबिक भारत में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध के निपटान का आंकड़ा है[9] – हत्या के कुल मामलों की जांच –48,553, कुल मामलो में सजा की संख्या – 6,961, इसमें सजा की दर 41.9 प्रतिशत रही। रेप केसों की कुल संख्या – 45,536, अनुसंधान के बाद सजा की संख्या – 4,660 यानि सजा की दर 27.8 प्रतिशत रही। अपहरण के कुल मामले – 1,73,245 रहे जिसमें कुल 3,952 मामलों में सजा मिली यानि सजा की दर 24.9 प्रतिशत रही।

भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि को भी रोका जाना चाहिए, ताकि अपराधों की संख्या भी कम हो सके। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश यदि अपराध को ऐसे ही बढ़ाएगा तो पुलिस के लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी।

घूसखोरी, भ्रष्टाचार, छेड़खानी, घोटाला, आदि में व्यक्ति को उसके पद के अनुरुप ही सजा मिलनी चाहिए, जो जितने बड़े पद पर हो, उन्हें ही बड़ी सजा मिलनी चाहिए।

भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करके पुलिस के काम को आसान बनाया जा सकता है। हालांकि 1985 में वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में भ्रष्टाचार के प्रमुख स्त्रोतों को कई भागों में बांटा गया है।[10] इन सभी स्त्रोतों को बंद करके पुलिस को सशक्त किया जाना आवश्यक है। देश में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने वाले तंत्र के लिए इस तरह की पहल की जानी चाहिए।

संदर्भ स्त्रोत–

1. स्टीफेन, जनरल व्यू घ्फ क्रिमिनल लॉ घ्फ इंग्लैण्ड, पृ.–3, उर्द्धित, मिश्रा, सूर्यनारायण एवं मिश्रा कुमार, संजय, भारतीय दण्ड संहिता, इलाहाबाद लॉ एजेंसी, 2007, पृ.–3।
2. रोजा, ए. पदमा और शकील, बी, सुजाता, लुकिंग इनवर्डस – आईपीएस टर्नड 50, हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली, 18.10.1998, पृ. 1 एवं 4।
3. भारत में अपराध– 2019, VOL-1 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, https://ncrb-gov-in/en/crime&india–2019–0।
4. बेदी, किरण, भारतीय पुलिस जैसा मैंने देखा, पृ. –13।
5. सात संकल्प, सात मुद्दे और अनेक ठोस तथ्य, हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 26.1.2009, पृ. 10।
6. जैन, सुरेश चंद्र, पुलिस एवं अदालतों में नागरिक सहभगिता, (कंसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली –2005) पृ.–60।
7. संपादकीय, दो टूक न्याय, जनसत्ता, नई दिल्ली, 30.11.1999, पृ.– 6।
8. सोली सोराबजी आयोग (2005) की अनुशंसा, उर्द्धित, मेहरा, के. अजय, पुलिस रिफॉर्मिंग एण्ड सिक्योरिटी, में स्ट्रीम, अगस्त 17–23, 2007, पृ. 37।
9. भारत में अपराध– 2019, टव्ल्.1 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, https://ncrb-gov-in/en/crime & india–2019–0
10. राजकिशोर, आज के प्रश्न भ्रष्टाचार की चुनौती, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995,10. राजकिशोर. आज के प्रश्न भ्रष्टाचार की चुनौती. वाणी प्रकाशन. नई दिल्ली. पृ.– 76।

******